14 7/15 अनुलग्नक 34.1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है। विद्युत निगम अलग से किराया
जाना शामिल पत्रा. किया गया। पत्रावली प्रेषित
जुर्माना होना सप्प तकमीना शामिल दस्तावेज की
जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्त सिंह लिग्री आर.ए.एस

निर्णय तिथि 14/7/15

राजस्व प्रार्थना पत्र
240 / 2012

दायरातिथि
25.10.2012

उनवान्

1 भीमसिंह पुत्र जगमाल जाति अहीर ग्राम जौडिया हाल आबाद तुर्कवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर(राजस्थान)।

–: वादी

बनाम्

1. जगमाल पुत्र श्योदान
2. महीपाल
3. राजपाल

4 शीशपाल पुत्रान जगमाल जाति अहीर निवासी ग्राम जौडिया हाल आबाद तुर्कवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर(राजस्थान)।

5 राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक कोटकासिम

6 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर(राजस्थान)।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –212
राज0 काश्त0 अधि0 1955 आदेश 39 नियम 1व 2
सपठित धारा –151 जा0 दी0

उपस्थित

1. श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता , प्रार्थी
2. श्री विकास यादव अधिवक्ता , अप्रार्थीगण 1 से 4

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वरा एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा –212 राज0 मश्त0 अधि0 1955 आदि 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा–151 जा0 दी0 इस न्यायालय में पेश किया। प्रा0 पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का केस ताइमा फेसाई आयद व साबित है । विवादित आराजियात मुश्तर्का खानदान दादालाई की आराजियात है जिसमें वादी के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी संख्या –1 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या – 2 से 4 का सगा पिताजी है। अप्रार्थी संख्या –1 को विवादित आराजियात इन्तकाल स0 118 के जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। जो अप्रार्थी –1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी –1 आदतन शराबी प्रवृति का व्यक्ति है। जईफ उम्र हो चुका है। अप्रार्थी –1 अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने की शक्ति खो चुका है। अप्रार्थी –1 आराजी को पहले भी बेचान कर चुका है। अब विवादित आराजियात को दीगर लोगों को बेचान करना चाहता है। जबकि विवादित आराजियात में मिन प्रार्थी का अप्रार्थी स0 –1 के हिस्से में से 1/5 हिस्से पर अप्रार्थीगण –1 लगा0 4 के साथ सामलात में काबिज काश्त है। मौके पर मिन प्रार्थी का वास्तविक कब्जा काश्त है। अप्रार्थी स0 1 ने 17.10.2012 को मिन प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है कि वह विवादित आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करेगा। अप्रार्थी –2 से 4 ने धमकी मिन प्रार्थी को दी है कि वो अप्रार्थी –1 को अपने कब्जे में लेकर विवादित आराजीयात का बेचान करवायेगें। और प्रार्थी को जबरन बेदखल करेगें व काश्त नहीं करने देंगें। अप्रार्थी गण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपनी दादालाई आराजीयात के उपयोग से वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी । इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात मिन वादी की दादालाई अराजीयात है। जिसमें प्रार्थी के हक व हकूक बाई – बर्थ निहित है। इसलिये सुविधा का सन्तुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी गण को जर्ये हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल ख0 न0 6/0.06, 7/0.07,15/1.04, 23/0.19, 66/1.10, 67/1.06, 75/3.05, 76/1.06, 7/1.02, 82/0.06, 87/1.02, 111/2.00, 137/1.05, 143/1.13,222/0.07, 328/0.19 कुल किता –16 कुल रकबा 18–19 बीघा वाके ग्राम तुर्कवास तह0

Scanned by CamScanner

टिकासिम (अलवर) को कही दीगर रहन–मय हिबा लिज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल । करें, नाहीं प्रार्थी के सामलाती हिस्से के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत दा करें । ना जबरन कब्जा करें , मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम खें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया।

अप्रार्थी –1 की ओर से जवाब प्रा0 पत्र पेश किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज कर झूंठा वाद पत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राइमा फेसाई आयद व साबित नहीं है। विवादित आराजीयात दादालाई नहीं बल्कि अप्रार्थी स0–1 की स्वयं की खरीद शुदा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी –1 का नाम अमल हो रहा है। प्रार्थी वादी ने अपने वाद पत्र में व प्रार्थना पत्र में जानबूझकर अपनी छः बहनों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। मिन अप्रार्थी –1 किसी भी बुरी आदत से ग्रसित नहीं है। मिन अप्रार्थी अपना व अपने परिवार का अच्छा बुरा सोचने की समझ रखता है। अप्रार्थी मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। किसी बहकावे में नहीं आया हुं। प्रार्थी विवादित आराजीयात के किसी भी जुज पर काबिज काश्त नही है। प्रार्थी गैरवास्ता गैरकाबिज शख्स है। यदि प्रार्थी दादालाई आराजीयात में अपना हक हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो प्रार्थी को अपनी छः बहनों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना चाहिये । उनका भी हक हिस्सा बनता है। प्रार्थी का विवादित आराजीयात में किसी भी सूरत में 1/5 हिस्सा नहीं बनता है। दिनांक 17.10.2012 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झूठी मिथ्या व बनावटी दर्ज की है। रिकार्ड में विवादित आराजी मिन अप्रार्थी –1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूरणीय क्षति नहीं होती है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार को किसी भी सूरत में हुकमईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रा0 पत्र काबिज खारिज है। खारिज फरमाया जावे । सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र महज मिन अप्रार्थी को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से झूंठा पेश किया है। जो कि काबिल खारिज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी
ाई।

प्रार्थी वकील ने बहस में प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी दादालाई है। जो इन्तकाल स0 118 से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का पिता बुजुर्ग है । अच्छा बुरा सोचने में असमर्थ है। प्रति0 2,3,4 के बहकावे में है। विवादित आराजीयात में से पूर्व में बेचान कर चूका है। इन्तकाल स0 213, 208, 397, 405 बेचान से संबधित हैं । रिकार्ड से प्रथम दृष्टया मामला साबित है। अप्रार्थी द्वारा अन्य आराजी के बेचान का एग्रीमेन्ट करवाया है। बेचान हेतु स्थगन हटवाना चाहता है। अप्रार्थी इस कृत्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। स्थगन आदेश हटाया गया तो सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी को होगा । क्योकि प्रार्थी खेत में रहता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी गण को हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जगमाल को विरासत से 1/2 भाग कुल लगभग 9 बीघा से भी कम आराजी प्राप्त हुई है। जबकि प्रा0 पत्र में कुल किता –16 रकबा 18 बीघा दर्ज कर उसपर स्थगन प्राप्त किया है। दादालाई 9 बीघा से भी कम है। 19 बीघा दादालाई की साबित नहीं है। विरासत के इन्तकाल वाले खसरा विवादित नहीं है। क्योकिं विरासत के खसरा का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया, बहस व प्रा0 पत्र के अनुसार एग्रीमेन्ट साबित नहीं। ना ही किस आराजी में रहता है यह साबित नही किया गया। इस बाबत दावे में प्लीडिंग नही है। इसलिये इस बिन्दू पर प्रार्थी की बहस शून्य मानी जावे। प्रार्थी द्वारा 1/5 हिस्से का दावा किया है। जबकि अप्रार्थी के छः पुत्रीया भी है अतः प्रार्थी 1/11 हिस्से कि मांग कर सकता हैं ना की 1/5 भाग की। प्रार्थी ने यह तथ्य छिपाया है ,,प्रार्थी ने गलत तथ्य पेश किये हैं प्रार्थी ने शुद्ध हस्त होकर दावा पेश नहीं किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रा0 पत्र मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी –1 रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में साबित नहीं है। प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा किस प्रकार है कोई तथ्य व सबूत पत्रावली पर पेश नहीं है तो अपूरणीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में सिद्ध नहीं है प्रार्थी का प्रा0 पत्र काबिल खारिज है

आदेश

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0 दी0 खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह तिवारी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner